उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में समाज के विभिन्न वर्गों को आवास उपलब्ध कराने हेतु उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अधीन उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद का गठन किया गया है। आवास एवं विकास परिषद वर्तमान में प्रदेश के 130 नगरों में कार्यरत है। आवास एवं विकास परिषद के प्रमुख कार्य-कलाप निम्नानुसार हैं :-

(1) आवास तथा सुधार योजनाओं तथा अन्य परियोजनाओं को बनाना और उन्हें निष्पादित करना,

(2) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त आवास और सुधार योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्राविधिक परामर्श देने की व्यवस्था करना और उनकी जांच करना,

(3) परिषद या परिषद के नियन्त्रण और प्रबन्ध में सौंपे गए राज्य सरकार के भूखण्डों, भवनों तथा अचल सम्पत्तियों का अनुरक्षण, उपयोग, आवंटन या उन्हें पट्टे पर देना या अन्य प्रकार से संक्रमण,

(4) राज्य सरकार की ऐसी अचल सम्पत्तियों का प्रबन्ध हाथ में लेना जो इस प्रयोजन के लिए संक्रमित की जाएं या सौंपी जाएं,

(5) भवन सम्बन्धी निर्माण कार्यों को विनियमित करना,

(6) परिषद द्वारा विकसित क्षेत्रों सड़क, विद्युत, स्वच्छता, जल-सम्भरण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना।